

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

कैम्प पूरण दि. 17/10/25

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

सिवाणा जिला बालोतरा

(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम पूरण की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता

संख्या 212 में मेरा/हमारे नाम मन्जू राजपुरोहित केलारा-चेंद

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम मन्जू केंवर पति केलारा-चेंद है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

मन्जू

पत्नी के सम्बन्ध में तत्कालीन केलारा मन्जू राजपुरोहित पति केलारा-चेंद
के स्थान पर मन्जू केंवर पति केलारा-चेंद किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

17.10.25
M. Manj

प. सागर

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी

GMS - 2025/623

आदेश

क्रमांक / ग. क्र. प्र. शि. / 1717

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पूरण की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता
संख्या 2080 में मन्जू राजपुरोहित पति केलारा-चेंद
के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

मन्जू केंवर पति केलारा-चेंद

की जमाबन्दी में तदनुसार सुधारों में प्रयत्न करण की कार्यवाही की जावे ।



काम को स्वीकृति प्रदान



उपखण्ड अधिकारी सिवाणा
सिवाना, बालोतरा